प्रेस नोट **29/01/2024**

चोरी की 05 मोबाइलफोन के साथ 02 शातिर चोर गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अविनाश पाण्डेय के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली पुलिस को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब दिनांक 28.01.2024 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर रेलवे फाटक बाल निकेतन तिराहा के पास से अभियुक्तगण अमन पाण्डेय उर्फ चभोकन पुत्र घनश्याम पाण्डेय निवासी बुढ़ावे थाना सरायलखन्सी , सुनील पुत्र विनोद निवासी कांशीराम आवास भुजौटी थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ के कब्जे से चोरी की 05 मोबाइलफोन जिसमें 02 अदद ओपो, 02 अदद इनफिनिक्स तथा 01 अदद रीयलमी नारजो बरामद किया गया जो थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0 27/24 धारा 457,380,511 भादवि0 से सम्बन्धित पाया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियोग में धारा 411 भादवि की बढोत्तरी कर चालान न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

1. अमन पाण्डेय उर्फ चभोकन पुत्र घनश्याम पाण्डेय निवासी बुढ़ावे थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।
2. सुनील पुत्र विनोद निवासी कांशीराम आवास भुजौटी थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ।

बरामदगी–

1. चोरी की 05 मोबाइलफोन (02 अदद ओपो, 02 अदद इनफिनिक्स तथा 01 अदद रीयलमी नारजो।)

चोरी का स्टेप्लाइजर तथा समरसेबल पंप के साथ 03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 29.01.2024 को थाना सरायलखन्सी पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर अभियुक्तगण राजाकुमार पुत्र रुदलराम, केवलराम पुत्र शिवगोविन्द, चेतन कुमार पुत्र रामजनम निवासीगण रस्तीपुर थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ के कब्जे से चोरी का एक स्टेप्लाइजर तथा एक समरसेबल पंप बरामद किया गया जो थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 36/24 धारा 380 भादवि0 से सम्बन्धित पाया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियोग में धारा 34,411 भादवि की बढोत्तरी कर चालान न्यायालय किया गया।

अवैध तमंचा व कारतूस के साथ एक शातिर अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 29.01.2024 को थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर गालिबपुर के पास से सत्यम यादव पुत्र संतोष यादव निवासी परासखाड़ थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ के कब्जे से एक अवैध तमंचा व एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 32/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

जिलाबदर घोषित अपराधी किया गया जिलाबदर–

थाना घोसी जनपद मऊ के पुलिस द्वारा आज दिनांक 29.01.2024 को, दिनांक 18.01.2024 को जिलाबदर आदेश के अनुपालन में, मु0अ0सं0 256/21 धारा 147,148,149,341 ,347,332,352,353,504,506,336 भा0द0वि0 7 क्रिमिनल ला एमे0 एक्ट, 135 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम भा0द0वि0 थाना घोसी जनपद मऊ से सम्बन्धित अभियुक्त अरशद पुत्र अली औसद निवासी अहमदपुर असना थाना घोसी जनपद मऊ को 06 माह के लिये जनपद मऊ की सीमा से निष्कासित किया गया ।

01 वांछित अभियुक्त तथा 05 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 29.01.2024 को जनपद के विभिन्न थानों में देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा उम्मनपुर मोड़ के पास से मु0अ0सं0 57/23 धारा 363,366,506 भादवि0 व 3/4 पास्को अधि0 में वांछित अभियुक्त चन्दन राजभर पुत्र हरेन्द्र राजभर निवासी अन्नुपार थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ तथा कोपागंज पुलिस द्वारा गिरफ्तार वांरण्टी अभियुक्त नियामतुल्ला पुत्र एतादुल्लाह निवासी जुम्मनपुरा थाना कोपागंज जनपद मऊ तथा घोसी पुलिस द्वारा गिरफ्तार वांरण्टी अभियुक्तगण मुनीर आलम पुत्र खलील निवासी बड़ागाव, हमजा पुत्र ताहिर निवासी करीमुद्दीनपुरा थाना घोसी जनपद मऊ तथा हलधरपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार वांरण्टी अभियुक्तगण अजय पुत्र बालचन्द, अमरजीत पुत्र हरीशचन्द्र निवासीगण मलपुर थाना हलधऱपुर जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।